न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर

बइजलास डॉ0 दिव्या आर.ए.एस.

अनुवान पोकरदास आदि बनाम नानूदास आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0 का0 अधि0 1955

प्रार्थना पत्र सं. 77/2021

निर्णय दिनांक 11/12/24

1. पोकरदास पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. जगमाल पुत्र कुंभदास जाति स्वामी निवासी देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. रामचन्द्र पुत्र कुंभदास जाति स्वामी निवासी देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. पेमाराम पुत्र कुंभदास जाति स्वामी निवासी देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
5. दलीप पुत्र कुंभदास जाति स्वामी निवासी देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
6. सुभाषदास पुत्र ख्यालीदास जाति स्वामी निवासी देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
7. ओमप्रकाश पुत्र ख्यालीदास जाति स्वामी निवासी देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. नानूदास पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. मुखी पुत्री मनफूल पत्नी बजरंगदास जाति स्वामी निवासी सावर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू
4. नायब तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक भानीपुरा तहसील सरदारशहर

– अप्रार्थीगण

उपस्थितिः

1. श्री महेन्द्र कुमार सींवरएडवोकेट वास्ते प्रार्थीगण
2. श्री श्यामदीन परिहार एडवोकेट अप्रार्थीगण सं0 1 व 2
3. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थीगण सं0 3 व 4

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 एक परिवार के सदस्य हैं। प्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 1 के पिता व प्रार्थी सं0 2 ता 7 व अप्रार्थी सं0 2 के दादा गणेशदास वल्द श्रीरामदास के नाम तन्हा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि गत ख0 नं0 160 रकबा 12 बीघा 06 बिश्वा, ख0 नं0 190 रकबा 47 बीघा 03 बिश्वा कुल रकबा 59 बीघा 09 बिश्वा, ख0नं0 5मीन रकबा 39 बीघा 08 बिश्वा, ख0नं0 52मीन तादादी 49 बीघा, ख0 नं0 107 रकबा 21 बीघा 13 बिश्वा, ख0 नं0 111मीन रकबा 36 बीघा, ख0नं0 96मीन रकबा 22 बीघा रोही गांव देवासर तहसील सरदारशहर में स्थित थी। जिसका उल्लेख [illegible] 20[illegible] है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पूर्वज गणेशदास का गत ख0 नं0 5मीन [illegible] 08 बिश्वा, ख0 नं0 52मीन रकबा 49 बीघा, ख0 नं0 107 [illegible] रकबा 36 बीघा, ख0 नं0 160 रकबा 12 बीघा 06 बिश्वा, ख0नं0 190 रकबा 47 बीघा 03 बिश्वा, ख0 नं0 9[illegible] 22 बीघा कुल रकबा 227 बीघा 09 बिश्वा रोही देवास[illegible]हसील सरदारशहर पर कब्ज[illegible] होने के कारण धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

घोषित कर दिया। जिसका नामान्तरण सं0 12 दिनांक 25.06.1957 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। इस प्रकार वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण के परिवार की पुश्तैनी संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। प्रार्थीगण स्व0 गणेशदास के वारिसान एवं कानूनी उतराधिकारी हैं। जिनका वादगत कृषि भूमि में जन्म से ही हक अधिकार कानूनन बनता है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। गणेशदास के पुत्र मनफूल का स्वर्गवास अप्रार्थी सं0 2 के उत्पन्न होने के कुछ समय बाद ही हो गया था। परिवार में अप्रार्थी सं0 1 नानूदास होशियार व्यक्ति था। जिनके मनफूल की पत्नी कुंता से नाता कर अपनी पत्नी बना लिया और पक्षकार वाद के पूर्वज गणेशदास को अपने प्रभाव में लेकर उनके नाम की कृषि भूमि ख0 नं0 52 रकबा 49 बीघा व ख0 नं0 111 मीन रकबा 36 बीघा कुल 85 बीघा रोही देवासर तहसील सरदारशहर का दस्तावेज तमलीकनामा दिनांक 08.11.1958 को विधि विरूद्ध नाजायज तरीके से गलत फायदा उठाकर अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया जिसका नामान्तरण सं0 132 दिनांक 25.04.1959 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। गणेशदास के नाम कृषि भूमि ख0 नं0 5मीन रकबा 39 बीघा 08 बिश्वा, ख0 नं0 86मीन रकबा 22 बीघा, ख0 नं0 107 रकबा 20 बीघा 12 बिश्वा, ख0 नं0 160 रकबा 12 बीघा 06 बिश्वा, ख0 नं0 190 रकबा 47 बीघा 03 बिश्वा कुल 142 बीघा 09 बिश्वा कृषि भूमि शेष रही। संवत 2018 में हुए बन्दोबस्त के पश्चात वादगत कृषि भूमि के नये ख0 नं0 कायम हुए। पक्षकारान वाद के पूर्वज गणेशदास के नाम की कृषि भूमि के नये ख0 नं0 29 रकबा 38 बीघा 08 बिश्वा, ख0 नं0 201 रकबा 12 बीघा 11 बिश्वा, ख0 नं0 257 रकबा 25 बीघा 08 बिश्वा, ख0 नं0 311 रकबा 07 बीघा 13 बिश्वा, ख0 नं0 365 रकबा 11 बीघा 06 बिश्वा, ख0 नं0 417 रकबा 30 बीघा, ख0 नं0 460 रकबा 16 बीघा 08 बिश्वा किता 7 कुल रकबा 141 बीघा 14 बिश्वा रोही देवासर तहसील सरदारशहर कायम हुए तथा अप्रार्थी सं0 1 को गणेशदास से तमलीकनामा के आधार पर हासिल हुई कृषि भूमि के नये ख0 नं0 66 रकबा 47 बीघा 17 बिश्वा, ख0 नं0 300 रकबा 16 बीघा 19 बिश्वा, ख0 नं0 329 रकबा 10 बीघा किता 3 कुल रकबा 74 बीघा 16 बिश्वा रोही देवासर कायम हुए। तमलीकनामा दिनांक 08.11.1958 के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 को 85 बीघा भूमि हासिल हुई थी बन्दोबस्त के बाद बड़े रिकॉर्ड में 74 बीघा 16 कृषि भूमि ही अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से में आई। इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। पक्षकारान वाद के पूर्वज गणेशदास का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उनके नाम की उपरोक्त खसरान कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण सं0 114 दिनांक 23.03.1983 को प्रार्थी सं0 1 व प्रार्थी सं0 2 ता 5 के पिता कुंभदास, प्रार्थी सं0 6 व 7 के पिता ख्यालीदास तथा अप्रार्थी सं0 1 के नाम ब0हि0ब0 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। अप्रार्थी सं0 1 नानूदास व प्रार्थीगण के पूर्वज गणेशदास वल्द श्रीरामदास के नाम ख0 नं0 483/299 रकबा 09 बीघा 01 बिश्वा ब0हि0ब0 दर्ज हुई गणेशदास के 1/2 हिस्सा भूमि का विरासतन नामान्तरण अभी तक दर्ज नहीं हुआ। गणेशदास 1/2 हिस्सा भूमि विरासतन प्रार्थी सं0 1 के 1/5 हिस्सा प्रार्थी सं0 2 ता 5 के 1/5 हिस्सा तथा प्रार्थी सं0 7 व 8 के 1/5 हिस्सा प्राप्त करने कानूनी अधिकारी है इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अप्रार्थी सं0 1 नानूदास चतुर चालाक [illegible] किस्म का व्यक्ति है। जिसने अपने पिता पक्षकारान वाद के [illegible] को अपने प्रभाव में लेकर उनके नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 52 रकबा [illegible], ख0 नं0 111 रकबा 36 बीघा कुल 85 बीघा रोही देवासर तहसील सरदारशहर का [illegible]लीकनामा दिनांक 08.11.1958 विधि विरूद्ध अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया। जिसका नामान्तरण सं0 132 दिनांक 25.04.1959 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। जबकि गणेशदास को 85 बीघा का तथा पुश्तैनी कृषि भूमि का तमलीकनामा निष्पादित करने का अधिकार हासिल नहीं था। उक्त तमलीकनामा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

गणेशदास के चार संतान नानू, कुंभा, ख्याली व पोकर लिखा हुआ है। जबकि गणेशदास के एक मनफूल नाम पुत्र संतान भी थी। अप्रार्थी सं. 1 को तमलीकनामा के आधार पर मिली कृषि भूमि पक्षकारान वाद की पुश्तैनी संयुक्त परिवार की जायदाद है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक हिस्सा विरासतन कानूनन बनता है। वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी सं0 1 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी सं0 2 ता 5 का 1/5 हिस्सा ब0हि0ब0 व प्रार्थी सं0 6 व 7 का 1/5 हिस्सा ब0हि0ब0 कानूनन बनता है। दिनांक 08.11.1958 को निष्पादित तमलीकनामा प्रार्थीगण खातेदारी अधिकारों के मुकाबले विपरीत निष्पादित किया गया होने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के मुकाबले आदितः शून्य एवं प्रभावहीन है तथा इसकी रूह से दर्ज नामान्तरण सं0 132 काबिले खारिज होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। संवत 2072 में हुए बन्दोबस्त के पश्चात अप्रार्थी सं0 1 को तमलीकनामा दिनांक 08.11.1958 के आधार पर हासिल हुई कृषि भूमि के नये ख0 नं0 300 रकबा 4.2867 हैक्टेयर, ख0 नं0 329 रकबा 2.5290 हैक्टेयर, ख0 नं0 66 रकबा 12.1013 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 18.9170 हैक्टेयर रोही देवासर कायम हुए हैं। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी सं0 1 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी सं0 2 ता 5 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी सं0 6 व 7 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 1 का 1/5 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं0 2 का 1/5 हिस्सा कानूनन बनता है। प्रार्थीगण का अपनी हिस्सा कृषि भूमि पर सदामत से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की घोषणा करवाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के कानूनी अधिकारी होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। वादगत कृषि भूमि पक्षकारान वाद के संयुक्त परिवार की कृषि भूमि हैं। जिसका संयुक्त परिवार के मध्य कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हुआ है तथा वादगत कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जन्म से ही अप्रार्थी सं0 1 के साथ संयुक्त रूप से चला आ रहा है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम खेत की जमीन अधिक होने पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 से गणेशदास के नाम की सम्पूर्ण जमीन को पांच भागों में बराबर–बराबर बंटवारा करने को कहा तब अप्रार्थी सं0 1 ने कहा कि मैंने तो अपने पिता को अपने प्रभाव में लेकर जमीन के कागजात अपने नाम अर्सा पहले ही बनवा लिये थे। तब प्रार्थीगण ने अपने पूर्वज गणेशदास के नाम की सम्पूर्ण कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल की तो ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 08.11.1958 को गणेशदास से उनके नाम की 85 बीघा कृषि भूमि का तमलीकनामा विधि विरूद्ध रूप से अपने हक में निष्पादित करवा लिया है और अब अप्रार्थी सं0 2 को अपने पिता के नाम की कृषि भूमि लेने का कहकर परिवार में विवाद उत्पन्न कर दिया है। जबकि अप्रार्थी सं0 1 ने दो हिस्सों की कृषि भूमि पहले ही अपने नाम करवा ली। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पुश्तैनी भूमि का गलत रूप से अपने हक में निष्पादित करवाया गया तमलीकनामा दिनांक 8.11.1958 आदित शून्य है। वादगत कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी सं0 1 वादगत कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करने एवं अजनबी व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है। वादगत कृषि भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है फिर भी अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा से महरूम करने पर आमादा है जबकि उसको ऐसा करने का कोई कानूनी हक अधिकार हासिल नहीं है। यदि अप्रार्थी सं0 1 ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वाद बाहुल्य[illegible] प्रार्थीगण को भारी असुविधा एवं कभी पूरा न होने वाला नुक[illegible] सं0 1 के नाजायज कृत्यों में सहयोग कर रही है और प्रार्थीगण के कब्जा काश्त [illegible] अन्दाजी कर रही है। इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करावे कि वादगत कृषि भूमि को विक्रय, स्थानान्तरण, रहन न करे, प्रार्थीगण की कब्जा काश्त में दखलअंदाजी नहीं करे, रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे तथा ना ही

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ऐसा कार्य या उपकार्य करे अथवा अन्य से करवाये जिससे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरित असर हो। अप्रार्थी सं0 3 व 4 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद ना करे। जिसमें अनुतोष चाहा कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 को वर्जित किया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि हाल ख0 नं0 300 रकबा 4.2867 हैक्टेयर, ख0नं0 329 रकबा 2.5290 हैक्टेयर, ख0नं0 66 रकबा 12.1013 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 18.9170 हैक्टेयर रोही देवासर तहसील सरदारशहर को अन्य किसी दिगर शख्स अथवा बैंक आदि के बैय, रहन, विक्रय, दान, वसीयत आदि नहीं करे, प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करे, रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे और ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे व करवाये जिससे प्रार्थीगण के विरासतन कानूनी हक व हिस्से पर विपरीत असर पड़े अप्रार्थी सं0 3 व 4 को पाबन्द किया जावे कि वोह वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धितं विक्रय पत्र, रहननामा आदि दस्तावेज पंजीयन नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सशुल्क तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब करने का आदेश पारित किया गया जिस पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामदीन परिहार उपस्थित आये तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर अनुतोष पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र काउण्टर अनुतोष में बिन्दूवार जबाब अंकित किया कि जवाबवाद पेश व कामयाबी के कथन किए गए है, अस्वीकार हैं। पैरा 1 में जिस कदर गढ़मढ कर, बदनीयत से पारिवारिक बाबत के कथन किए गए है। तथ्य छुपाकर पारिवारिक सदस्य का कथन पूर्ण विवरण के अभाव में मिसजोईन्डर ऑफ फैक्ट है। यही नहीं सजरा में शिवरामदास की बजाय श्रीरामदास का नाम अंकित किया हैं। निराधार कब्जा कास्त तथा नानूदास के अकेले के नाम से 63 साल की जोत के साथ कथन एच.यू.एफ जोत बताने के विवरण के तथ्य पूर्णतया अस्वीकार। पूर्व निर्णित बाद के तथ्य हक हिस्सा में पहले अनुतोस का लोप कर अब विधी से वर्जित तथ्य, बिना न्यायलय की पूर्व स्वीकृति के विधि से वर्जित है। ना ही मनफूलदास के पुत्र गुगनदास को पक्षकार बनाया हैं तथा 141.14 बीघा के 1/5 हिस्सा का पैरा 1 में अंकित की डिक्री की पालना विचाराधीन है। प्रतिवादी सं0 1 के हक में तमलीक नामा व अंकन के प्रतिकूल कथन, खुदकास्त अर्जित बाबत कथन सिविल नैचर के है। सारे कथन पैरा 1 के निराधार वेग, कथन रिकार्ड के प्रतिकूल अस्वीकार है। पैरा सख्या 2 मे मात्र प्रतिवादी 2 को ही मनफूलदास की पुत्री का कथन है। निर्णितन्यायवाद 21.12.11 अनवानी गुगनदास बनाम नानुदास आदि के प्रतिकूल बोगस, आधार हीन. गलत बयानी पर आधारित है तथा प्रतिवादी के बिना हक नामां. करण 114 के निरस्त के बाद व नानूदास के नाम के रकबा में भी कथन, अनुतोस का लोप है तथा अब वाद विधि से वर्जित हैं। जिसकी अपील, जैरकार मे वादीगण अपीलांट है। स्व. शिवरामदास/श्रीरामदास के विरूद्ध वाद में उनकी गैर मौजूदगी में, उनके बाबत अपमान जनक कथन के आधार पर वाद अबेट तथ्य अबेटमैट है। दोषपूर्ण, अपराधिक कथन है। विधिवत निस्पादित तमलीकनामा 132 को 63 साल बाद बिना सिविल कार्यवाही में व [illegible] निर्णीत अनवानी गुगनदास बनाम नानूदास आदि के प्रतिकूल बोगस, निरस्त करा[illegible] लोप उनके जीवन काल में वादीगण के स्व. पितागण ने आ[illegible] लोप अनुतोष का है। दूसरा उसी रकबा का वाद बिना स्वीकृति न्यायालय, विधी से वर्जित है। वाद कारण ही 63 साल बाद विधिक प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 के [illegible] ने हासिल जोत के प्रतिकूल कथन निराधार वेग, स्कैण्डल पूर्ण रिकार्ड के प्रतिकूल पूर्णतया अस्वीकार है। कब्जा कास्त निरन्तर, शान्ति पूर्वक, सहमत, अनुमत प्रत्यक्ष से प्रतिवादी 1 दो भाग दर्ज खातेदारी पर प्रतिवादी 1

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अपने परिवार सहित उपयोग, उपभोग करता आ रहा है तथा कभी प्रतिकूल कार्यवाही प्रतिवादी 1 के विरूद्ध नहीं की गई हैं। अवसानित हक के बाद, कथन है तथा इसी तरह रिकार्ड में दर्ज 114 सं. नामा 1/4 हि.ब स.हि.प.सं. में तथा निर्णय वाद वाहक गुगनदास के अनुसार 1/5 हि. के प्रतिकूल कथन अस्वीकार है। ना तो प्रथम दृस्टया मामला बनता है, ना ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। पैरा न. 3. के तथ्य जिस कदर कथन दर्ज नामां 114 दि. 23.3.83 से विरास्त मे दर्ज अपने वादीगण का 1/4 हिस्सा बताया है, तथा बाकी प्रतिवादी 1 के नाम रिकार्ड के प्रतिकूल कथन गणेशदास व नानूदास के 1/2 हिस्सा का ख.न. 483/299 का 9.1 बीघा ब.हि.ब. दर्ज के कथन रिकार्ड व दस्तावेजात निस्पादित के प्रतिकूल पर आधारित है। जिसमे अब तक किस कारण दर्ज नही। वादीगण का हक किस आधार पर है। मजीद विवरण आवश्यक है। वादीगण पैरा 1.2 के जबाब की रोशनी में किसी प्रकार के अवसानित हक व लोप के अनुतोष बाद के बाद के जरिए पाने के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण की पारिवारिक व्यवस्था के तहत धारण कब्जा कास्त व जोत के प्रतिकूल कथन अस्वीकार है। पैरा न. 4 के तथ्य जिस कदर दुर्भावनाग्रस्त होकर चालाक बेजा होशियार किस्म प्रतिवादी 1 बाबत कथन चारित्रिक मानहानि के किए गए है तथा गणेशदास को प्रभाव मे लेकर तमलीकनामा करवाने का कथन अंकित किया है। वह मृतक के प्रति पुरुखो के प्रति अनादर दोषपूर्ण, तथ्य अबेटमेट पर आधारित है। अपने जीवनकाल में स्व अर्जित की व पारिवारिक व्यवस्था के तहत निष्पादन के पूर्ण अधिकार स्व. गणेशदास को थे और जीवनकाल ने कोई वाद अधिकार अन्य को प्राप्त नहीं थे और ना ही अब कोई हक, जन्म से 63 साल बाद वारिसान को हासिल है। किस कारण स्व.गणेशदास ने चार संतान का तमलीकनामा में तजकरा किया है। बिना आधार दस्तावेज के प्रतिकूल कथन नितान्त मिथ्या, मनघडन्त, निराधार है। अपने जीवनकाल में स्व. वादीगण के पिता पोकरदास, ख्याली दास, तथा कुंभदास ने कोई अधिकार की मांग नहीं की तथा निर्णित वाद में भी अपने हक तर्क कर चुके है। ना ही निष्पादित दस्तावेज बिना कार्यवाही अदालत सक्षम से चाराजोई के निराधार है। पारिवारीक व्यवस्था व हक स. हि. प. 141.14 बीघा वादीयान 1/4, की बजाय 1/5 हि. प्रतिवादी 1 के हक हिस्सा के तथ्य अन्य वाद में स्वीकृत निर्णित हो स्वीकार है उसे मानने के लिये समस्त वादीगण भी सहमत और आबद्ध है, इसके प्रतिकूल कथन पूर्णतया अस्वीकार है। पैरा 5 के तथ्य सन् 1972 के बाद रिकार्ड में जिस कदर नए खसरा बने हैं, वह प्रतिवादी के नाम दर्ज खातेदारी है। कोई समय पर उजरदारी, वाद कार्यवाही वादी व उनके पूर्वजगण द्वारा नही की गई। स्व. गणेशदास की अर्जित की तमलीक कृत के प्रतिकूल वा अंकित की बाबत वादीगण को कोई हक हासिल नही है। वादीगण ने अपना हक हि. 1/5, 1/5, 1/5 बताया है। उक्त जोत में कोई कभी बिना बेसिक आधार दस्तावेज के हक के पेश नही, ना ही वाद अधिकार है। विधिक दस्तावेज को सक्षम फॉर्म पर बिना कार्यवाही के प्रतिकूल कथन निराधार, अस्वीकार है। आवश्यक पक्षकार के संयोजन के अभाव में तथा निर्णित वाद की पालना विचाराधीन पैतृक जोत नामां 114 निरस्त हो चुका हैं। वाद ही खारिज योग्य है। पैरा सख्या 6 के तथ्य जिस कदर संयुक्त परिवार की खेती भूमि बताई है, के कथन नितान्त मिथ्या है। ना ही वादीगण का कोई वाद का अधिकार था और ना है। ना ही स्वअर्जित जोत प्रतिवा[illegible] बाबत व खाता विभाजन के निर्णय न्यायालय हाजा मे जेरकार है। प्रतिवाद[illegible] विरूद्ध हक से महरूम करने हासिल करने की गरज से पह[illegible] है। वाद कारण के लिए मनघड़त तथ्य अंकित किए हैं। [illegible] तमलीक विधिक के बाबत गलत तथ्य अंकित किए गए है। ना ही तमलिकनामा आवि[illegible] शून्य है। ना ही निरस्त कराने के अर्जित के में वादी व उसके पूर्वज का हक हिस्सा है। प्रतिवादी 1 के साथ वादीगण की कब्जा कास्त के हक बाबत कथन नितान्त बोगस, निराधार है तथा गणेसदास की सम्पूर्ण जोत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

बंटवारा कराने कथन काल्पिनिक है। ना ही तमलिकनामा आदितः शून्य है। विधिक दस्तावेज स्व अर्जित व पारिवारिक व्यवस्था में बहक प्रतिवादी न० 1 के हिस्सा के प्रतिकूल कथन पूर्णतया अस्वीकार है। वादीगण व उनके पूर्वज की प्रत्यक्ष सहमति अनुमत वा आचरण से वादीगण भी एस्टोप्ड है। पैरा 7 के तथ्य हाल ख.नं. 300, 329, 66 कुल रिकार्डेड का योग 18.9170 है0 है। संयुक्त रूप से कब्जा कास्त बताना तथा अब प्रतिवादी 1, 2 के साथ कास्त करना संभव नही के कथन निराधार है। प्रतिवादी को पूर्वज की स्वअर्जित व पारिवारिक व्यवस्था के तहत विधिक तमलीक व 63 साल से निरन्तर कब्जा कास्त तन्हा अधिकारिक प्रतिवादी 1 एवं उसके परिवार के विरूद्ध कोई अधिकार, वाद अधिकार, वादीगण को हासिल नही है। सारे कथन वेग, निराधार स्केण्डल पूर्ण है। पूर्णतया अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का है तथा रिकार्डेड के विरूद्ध किसी भी प्रकार टी.आई. के अधिकारी वादीगण नहीं है। मय भारी कोस्ट के खारिज फरमाया जावे। जबाब दावा की रोशनी मे बोगस लिटीगेसन वादीगण के कारण प्रतिवादीण को वादीगण से भारी मानसिक, व आर्थिक क्षति हुई है. वादीगण से दिलाई जावे। आ. 7. 11 सी.पी.सी के निस्तारण पहले फरमाया जावे। प्रतिवाद बहक अप्रार्थीगण 1, 2 निम्न प्रकार से स्वीकार कर फरमाया जावे– पैरा अ. काउण्टर क्लेम में अंकित प्रतिवादी 1 की जोत हाल ख.नं. 300, 329, 66 तादादी 18.9170 है. रोही देवासर में अस्थाई निषेधाज्ञा बहक अप्रार्थियान विरूद्ध वादीगण प्रदान की जावे कि ता फैसला वाद ना तो स्वयं दखल करे, ना ही अन्य किसी को दखल की प्रेरणा व दखल करावे नहीं ऐसा कृत्य, अकृत्य करे, जिससे प्रतिवादी के अर्जित स्वत्व अधिकार की जोत प्रतिवादी के हित की क्षति हो। ख. नं. 29, 201, 257, 311, 460, 365, 417 तादादी 141.14 बीघा के प्रतिवादियान के 1/5 हि. तथा प्रतिवादी 2. का 1/5 हि. में किसी प्रकार के अंतरण नही करे तथा ख्यालीदास, व कुंभदास के वारिसान क्रमशः उक्त रकबा का भी नहीं करे। ना ही प्रतिवादीगण के 2/5 हिस्सा पर दखल व प्रवेश न तो स्व करे ना ही अन्य को प्रेरणा देवे। जिसके लिए भारी राशि के जरिए फसली लाभ की 57 बीघा की प्रति बीघा पांच हजार, प्रतिसाल होने वाली क्षति वादीगण से दिलाई जावे। अन्य अनुतोस कानून से देय बहक अप्रार्थीगण भारी कोस्ट के प्रदान कराया जावे। प्रदान कराया जावे।

जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा काउण्टर जबाब प्रार्थना पत्र का जवाबुल जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है :–

काऊण्टर प्रार्थना पत्र की मद 'अ' में वर्णित तथ्य समस्त तथ्य सरासर गलत अंकित किये गये होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने कृषि भूमि ख0 नं0 300, 329, 66 रोही देवासर की कृषि भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्ध चाही है तथा अप्रार्थी सं0 3 व 4 को अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा गलत रूप से बने राजस्व रिकॉर्ड का फायदा उठाकर कोई दस्तावेज पंजीयन करवाया जाता है तो उन्हें पंजीयन नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। जबकि अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने इस मद में अन्य खसरों का उल्लेख करते हुए प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] अप्रार्थी सं0 1 व 2 प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने [illegible] कारी नहीं होने से अप्रार्थी सं0 1 व 2 का काउण्टर प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज है। काऊण्टर प्रार्थना पत्र की मद 'ई' गलत विधि विरूद्ध [illegible] अस्वीकार है। अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 द्वारा निराधार तथ्यों पर काऊण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें चाहा गया अनुतोष अप्रार्थी सं0 1 व 2 कतई प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी नहीं होने से काऊण्टर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारिज है और अनुतोष चाहा कि प्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

ओर से जबाब काऊण्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काऊण्टर प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकुलाय सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जबाब काउण्टर प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया और दावा की मद सं0 1 में प्रदर्शित गणेशाराम पुत्र श्रीरामदास का सजरा दिखाते हुए कथन किया कि गणेशदास के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वारिसान है। पक्षकारान वाद हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होने वाले हिन्दू है। जिनकी सम्पतियों का न्यायगमन हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विरासतन किया जाता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 एक परिवार के सदस्य हैं। प्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 1 के पिता व प्रार्थी सं0 2 ता 7 व अप्रार्थी सं0 2 के दादा गणेशदास वल्द श्रीरामदास के नाम तन्हा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि गत ख0 नं0 160 रकबा 12 बीघा 06 बिश्वा, ख0 नं0 190 रकबा 47 बीघा 03 बिश्वा कुल रकबा 59 बीघा 09 बिश्वा, ख0नं0 5मीन रकबा 39 बीघा 08 बिश्वा, ख0नं0 52मीन तादादी 49 बीघा, ख0 नं0 107 रकबा 21 बीघा 13 बिश्वा, ख0 नं0 111मीन रकबा 36 बीघा, ख0नं0 96मीन रकबा 22 बीघा रोही गांव देवासर तहसील सरदारशहर में स्थित थी। जिसका उल्लेख जमाबन्दी संवत 2010, 2011 में है। उक्त भूमि पर गणेशदास का कब्जा काश्त होने से धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदार घोषित कर दिया गया। जिसका नामान्तरण सं0 12 दिनांक 25.06.1957 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि प्रश्नगत भूमि पक्षकारान वाद की पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की जायदाद है जिसमें जन्म से ही प्रार्थीगण का हक हिस्सा कानूनन बनता है। पक्षकारान प्रार्थना पत्र के पूर्वज गणेशदास के पुत्र मनफूल का स्वर्गवास अप्रार्थी सं0 2 के उत्पन्न होने के कुछ समय बाद ही हो गया। अप्रार्थी सं0 1 चतुर होशियार व्यक्ति है जिसने अप्रार्थी सं0 2 की माता कुन्ता से नाता कर लिया और गणेशदास को अपने प्रभाव में लेकर उनके नाम की कृषि भूमि ख0 नं0 52 रकबा 49 बीघा व ख0 नं0 111 मीन रकबा 36 बीघा कुल 85 बीघा रोही देवासर तहसील सरदारशहर का दस्तावेज तमलीकनामा दिनांक 08.11.1958 को विधि विरूद्ध नाजायज तरीके से गलत फायदा उठाकर अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया जिसका नामान्तरण सं0 132 दिनांक 25.04.1959 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। इसके बाद बन्दोबस्त के दौरान प्रश्नगत भूमि के ख0नं0 तब्दील होते रहे। जिसका उल्लेख प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में किया है और बन्दोबस्त के बाद तमलिकनामा के आधार पर हासिल 85 बीघा भूमि के स्थान पर 74 बीघा 16 बिश्वा कायम हुई। शेष रही गणेशदास की कृषि भूमि जरिये विरासतन नामान्तरण सं0 114 दिनांक 23.03.1983 के आधार पर विरासतन दर्ज हुई। गणेशदास की हिस्सा भूमि में प्रार्थी सं0 1 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी सं0 2 ता 5 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रार्थी सं0 6 व 7 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा कानूनन बनता है। अप्रार्थी सं0 1 नानूदास चतुर चालाक बेजा होशियार किस्म का व्यक्ति है। जिसने अपने पिता पक्षकारान वाद के पूर्वज गणेशदास वल्द श्रीरामदास को अपने प्रभाव में लेकर उनके नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 52 रकबा 49 बीघा, ख0 नं0 111 रकबा 36 बीघा कुल 85 बी[illegible]सील सरदारशहर का तमलीकनामा दिनांक 08.11.195[illegible] विधि विरूद्ध अप[illegible]क्ष म[illegible]ादित करवा लिया। जिसका नामान्तरण सं0 132 दिनांक [illegible]19[illegible] राजस्व [illegible] अमलदरामद हुआ। जबकि गणेशदास को 85 बीघा का तथा पुश्तैनी [illegible]मलीकनामा निष्पादित करने का अधिकार हासिल नहीं था। उक्त तमलीकनामा में गणेश[illegible] के चार संतान नानू, कुंभा, ख्याली व पोकर लिखा हुआ है। जबकि गणेशदास के एक मनफूल नाम पुत्र संतान भी थी। अप्रार्थी सं. 1 को तमलीकनामा के आधार पर मिली कृषि भूमि पक्षकारान वाद की पुश्तैनी संयुक्त परिवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

की जायदाद है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक हिस्सा विरासतन कानूनन बनता है। वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी सं0 1 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी सं0 2 ता 5 का 1/5 हिस्सा ब0हि0ब0 व प्रार्थी सं0 6 व 7 का 1/5 हिस्सा ब0हि0ब0 कानूनन बनता है। दिनांक 08.11.1958 को निष्पादित तमलीकनामा प्रार्थीगण खातेदारी अधिकारों के मुकाबले विपरीत निष्पादित किया गया होने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के मुकाबले आदितः शून्य एवं प्रभावहीन है तथा इसकी रूह से दर्ज नामान्तरण सं0 132 काबिले खारिज है। राजस्व रिकॉर्ड में ही तमलीकनामा के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 को विधि विरूद्ध रूप से अर्जित भूमि चली आ रही है। प्रार्थीगण का अपनी हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी सं0 1 तमलीकनामा के आधार पर गलत बने रिकॉर्ड की आड़ में प्रश्नगत भूमि को विक्रय रहन बैय मुन्तकिल करना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है जिससे प्रार्थीगण के उक्त भूमि में पुश्तैनी हक अधिकार नहीं बनते हो और अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किये है और काउण्टर क्लेम के तथ्य अप्रार्थीगण किसी भी दस्तावेज से साबित करने में असफल रहे है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अर्ज किये कथनों पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम व जबाब काउण्टर प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अध्ययन किया गया, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व अभिलेख की फोटो प्रतियों का अवलोकन किया गया। न्यायालय को प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त पर विचार किया जाना है जो निम्न प्रकार पाये गये है :—

प्रथम दृष्टया मामला :—

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित करते हुए प्रश्नगत भूमि को
पुश्तैनी हिन्दू परिवार की जायदाद बताया तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष
में निष्पादित तमलीकनामा दिनांक 08.11.1958 को विधि विरूद्ध होने के कथन किये है और
उसकी आड़ में बने राजस्व रिकॉर्ड को काबिले खारिज बताया है और उक्त भूमि में प्रार्थी सं0
1 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संस0 2 ता 5 का 1/5 हिस्सा, व प्रार्थी सं0 6 व 7 का 1/5
हिस्सा विरासतन होने के कथन किये है। यदि पक्षकारान वाद के पूर्वज गणेशदास द्वारा अपने
नाम की कृषि भूमि का अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में तमलीकनामा निष्पादित नहीं किया जाता तो
उक्त भूमि विरासतन प्रार्थीगण को व गणेशदास के अन्य वारिसान को हिन्दू उतराधिकार
अधिनियम के तहत हासिल होती। कृषि भूमि हाल ख0 नं0 300 रकबा 4.2867 हैक्टेयर, ख0नं0
329 रकबा 2.5290 हैक्टेयर, ख0नं0 66 रकबा 12.1013 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 18.9170
हैक्टेयर रोही देवासर तहसील सरदारशहर वर्तमान तहसील भानीपुरा की भूमि प्रार्थीगण की
पुश्तैनी भूमि नहीं का तथ्य अप्रार्थी[illegible] [illegible] है जबकि प्रार्थीगण
प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में स[illegible] इसलिए प्रथम दृष्टया मामला
प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त :—

वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी सं0 1 का 1/[illegible] हिस्सा, अप्रार्थी संस0 2 ता 5 का
1/5 हिस्सा व प्रार्थी सं0 6 व 7 का 1/5 हिस्सा कृषि भूमि के काबिज काश्तकार है। अप्रार्थी
सं0 1 अपने नाम बने गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है। प्रार्थीगण कृषि पेशा व्यक्ति है जिनकी आय का एकमात्र स्रोत खेती है और उनका अपने पूर्वज गणेशदास से विरासतन अर्जित भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में ही भूमि तमलीकनामा के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है जबकि अप्रार्थी सं0 1 का उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है सिर्फ विरासतन हिस्से तक की भूमि पर ही कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के उक्त कथनों अप्रार्थीगण द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर खण्डन नहीं किया गया है। इसलिए सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनकर प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त :–

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहे है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण उनकी हिस्सा भूमि काश्त करने नहीं देना चाहते है और भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी इसलिए अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है तथा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में ही कानूनन माना जाता है।

आदेश

अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद वर्जित किया जाता है कि वो वादगत कृषि भूमि हाल ख0 नं0 300 रकबा 4.2867 हैक्टेयर, ख0नं0 329 रकबा 2.5290 हैक्टेयर, ख0नं0 66 रकबा 12.1013 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 18.9170 हैक्टेयर रोही देवासर तहसील सरदारशहर को अन्य किसी दिगर शख्स अथवा बैंक आदि के बैय, रहन, विक्रय, दान, वसीयत आदि नहीं करे, प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करे, रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे और ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे व करवाये जिससे प्रार्थीगण के विरासतन कानूनी हक व हिस्से पर विपरीत असर पड़े अप्रार्थी सं0 3 व 4 को पाबन्द किया जाता है कि वोह वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित विक्रय पत्र, रहननामा आदि दस्तावेज पंजीयन नहीं करें।

(डॉ. दिव्या) RAS
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 11/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिव्या) RAS
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner